भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न सं. **5008**

23.03.2026 को उत्तर के लए

अत्य धक प्रदूषणकारी उद्योग

5008. डॉ. सी. एन. मंजूनाथः

क्या पर्यावरण**,** वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक राज्य में अर्कावती और कावेरी नदी घाटियों के कनारे चह्नित कए गए अत्य धक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (जीपीआई) की संख्या कतनी है;

(ख) उक्त नदी घाटियों में उद्योगों द्वारा स्था पत ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) का ब्यौरा क्या है और निगरानी नेटवर्क से जुड़ी इकाइयों की संख्या कतनी है;

(ग) वगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत कर्नाटक राज्य सरकार को जारी की गई केन्द्रीय नि ध का वर्ष-बार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में जीरो लक्विड डस्चार्ज (जेडएलडी) मानकों का अनुपालन न करने वाली औद्यो गक इकाइयों के वरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन संह)

(क) से (घ) संबं धत एसपीसीबी/पीसीसी अपने अ धकार क्षेत्र में अत्य धक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की पहचान करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, राज्य में 3 जीपीआई हैं। सभी 3 इकाइयां संचालनरत हैं और पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन कर रही हैं।

उक्त नदी बे सनों में स्था पत उद्योगों द्वारा लगाए गए ऑनलाइन सतत अपगामी निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) का ववरण, जिसमें निगरानी नेटवर्क से जुड़ी इकाइयों की संख्या भी शा मल है, https://rtdms.cpcb.gov.in/data पर देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत कर्नाटक राज्य सरकार को कोई केंद्रीय नि ध जारी नहीं की गई है।

यह पाया गया क पछले पाँच वर्षों में, कर्नाटक राज्य में चार इकाइयां शून्य तरल अप शष्ट (ज़ेडएलडी) मानकों का अनुपालन नहीं कर रही थीं। पर्यावरणीय कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत की गई कार्रवाई में दो बंद करने संबंधी निर्देश दिए गए तथा दो कारण बताओ नोटिस जारी कए गए।
